



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042023-245423
CG-DL-E-26042023-245423

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1795]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2023/वैशाख 5, 1945

No. 1795]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2023/VAISAKHA 5, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2023

का.आ. 1883(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4391(अ) दिनांक 20 सितम्बर 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले में जड़चेर्ला-कलवाकुरति सेक्शन के NH-167 के कि.मी. 17.0 से कि.मी. 18.0 (एडिशनल कलेक्टर, रेवेन्यू महबूबनगर) तक के भूखण्ड पर निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "समाचार 18 अक्टूबर 2022" को "नमस्ते तेलंगाना"(तेलुगु) और "द हिन्दू"(अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले में जड़चेर्ला-कलवाकुरति सेक्शन के NH-167 के कि.मी. 17.0 से कि.मी. 18.0 तक (एडिशनल कलेक्टर, रेवेन्यू महबूबनगर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: महबूबनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जड़चेर्ला				
	गांव का नाम: बाडेपल्ली				
1	101	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.10117	मुनिसिपलिटि शटर्स (101)
2	101	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.005016	लायन्स क्लब (101)
3	101	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.001672	एसटी. अग्रेस स्कूल (101)
4	101	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.141638	बी.आर.आर डिग्री कालेज (101)
5	104	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.050585	बी.आर.आर डिग्री कालेज (104)
6	60	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.00025	एम. सुधाकर रेड्डी सॉन ऑफ शिवनाद रेड्डी (60)
7	60	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.00025	एच. स्वाति वाइफ ऑफ रामरेड्डी (60)
8	60	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.00025	विजया लक्ष्मी वाइफ ऑफ राजशेखर रेड्डी (60)
9	60	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.001337	वाम्सीधर रेड्डी (60)
10	60	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.006103	अर्दम जगदीश्वर सॉन ऑफ नागभूषणम् (60)
11	60	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.031395	एमआरओ आफिस (60)
12	60	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.003975	एग्रीकल्चर आफिस (60)
13	60	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.00395	आर एंड बी ऑफिस (60)

14	71	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.0502	जेडपिएचएस (71)
15	71	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.01	एससी गर्ल्स होस्टल (71)
16	73	निजी(पट्टा)	गैर कृषि गृह स्थल	0.0404	एससी गर्ल्स होस्टल (73)
			कुल	0.448191	

[फा. सं. Rev/G3/0001/2021-G-Section/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2023

S.O. 1883(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4391(E) dated on 20th September, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,) Maintenance, management and operation of Jadcherla-Kalwakurthy Section of NH-167 in the stretch of land from Km 17.0 to Km 18.0 (Additional Collector, Revenue Mahabubnagar) in the district of MAHABUBNAGAR in the state of TELANGANA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Namasthe Telangana”(Telugu) and “The Hindu”(English) both dated 18 October 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections were received from the persons interested in the land for acquisition;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-167 in the stretch of land from Km 17.0 to Km 18.0 (Additional Collector, Revenue Mahabubnagar) of Jadcherla-Kalwakurthy Section in the district of MAHABUBNAGAR in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA			District: MAHABUBNAGAR		
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jadcherla					
Village: Badepalle					
1	101	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.10117	Municipality shutters 101
2	101	Private(Patta)	non agricultural	0.005016	Lions club

			housing site		101
3	101	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.001672	St. Agness school 101
4	101	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.141638	B.R.R Degree collage 101
5	104	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.050585	B.R.R Degree collage 104
6	60	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.00025	M. Sudhakar reddy S/O Shivanaad reddy 60
7	60	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.00025	H. Swathi W/o RamReddy 60
8	60	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.00025	Vijaya lakshmi w/o Rajasekar Reddy 60
9	60	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.001337	Vamsidhar Reddy 60
10	60	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.006103	Ardam Jagediswar S/o Nagabushanam 60
11	60	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.031395	MRO Office 60
12	60	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.003975	Agriculture office 60
13	60	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.00395	R and B Office 60
14	71	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.0502	ZPHS 71
15	71	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.01	SC Girls Hostel 71
16	73	Private(Patta)	non agricultural housing site	0.0404	SC Girls Hostel 73
			TOTAL	0.448191	

[F. No. Rev/G3/0001/2021-G-Section/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.